

राजस्थान सरकार

वन विभाग

क्रमांक:- प012(14)वन/12

जयपुर, दिनांक:- 11-11-12

आदेश

राजस्थान वन सेवा नियम, 1962 के नियम 31(1)(बी) के अन्तर्गत गठित रिव्यु विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.11.2012 की अभिशंषा के अनुसार इस विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक प0 14(8)वन/92 दिनांक 12.1.93 एवं प0 12(1)वन/93 दिनांक 12.9.95 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित क्षेत्रीय वन अधिकारियों को सहायक वन संरक्षक की उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध निम्नानुसार सहायक वन संरक्षक के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर स्थानापन्न रूप से एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.स.	नाम अधिकारी	चयन वर्ष
1	श्री भँवर लाल बेनीवाल	1992-93
2	श्री रामावतार शर्मा	1994-95

उक्त अधिकारियों का वेतन निर्धारण राजस्थान वन सेव नियम, 1962 के नियम 31(ए) के उप नियम 11ए में दिए गए प्रावधानानुसार होगा ।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(पुष्पा सत्यानी)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एतद आवश्यक कार्यवही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, वन मंत्री महोदया ।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वन
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर
5. संबंधित अधिकारी द्वारा प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान जयपुर
6. रक्षित पत्रावली ।

शासन उप सचिव
अनुभाषा अधिकारी

शासन सचिवालय, जयपुर